संख्या- 24 / 2022 /2158 / चार-2021-82(वि0)/13

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 28 जनवरी, 2022**

विषय:- जनपद बदायूं के डायट परिसर में प्रेक्षागृह के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषय के संबंध में महाप्रबंधक, यू0 पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्र संख्या-5785/पी0सी0एल0/मुख्यालय/पीएण्डपी/संस्कृति दिनांक 22 नवम्बर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 104.71 लाख (रू0 एक करोड़ चार लाख इकहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- शासनादेश संख्या- 171/2021/1868/चार-2021-82(वि0)/13 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 एवं शासनादेश संख्या- 68/2021/469/चार-2021-82(वि0)/13 दिनांक 19 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं उपयोग नियमानुसार किया जायेगा और धनराशि आहरित कर नियमानुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाएगी।

5- संस्कृति निदेशालय द्वारा प्रशासकीय विभाग समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय सुनिश्चित की जाएगी।

7- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

8- संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में प्राविधानित धनराशि के व्यय/बचत के संबंध में संस्कृति निदेशालय सुनिश्चित हो लेंगे।

10- संस्कृति निदेशालय द्वारा प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्कृति निदेशालय की होगी।

11- संस्कृति निदेशालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा । वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

13- संस्कृति निदेशालय यह सुनिश्चित करेंगे की प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है ।

14- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

15- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

16- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति 800-अन्य व्यय -16-अयोध्या फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल की स्थापना- 24-वृहद निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति -800- अन्य व्यय-32 जनपद बदायूं में प्रेक्षागृह का निर्माण-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त दिशा- निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या- 24 /2022 / 2158 (1)/चार-2021-82(वि0)/13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, बदायूं।
4-वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- महाप्रबंधक-जो-7, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, 57 शक्तिनगर कालोनी, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 उ0 प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म-बी0एम0-09(भाग-1)

पुनर्विनियोग स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

अनुदान संख्या व नाम- 92- संस्कृति विभाग वित्तीय वर्ष 2021-22 प्रपत्र बी0एम0-09 (भाग-1)

(धनराशि लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
4202- शिक्षा , खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति 800-अन्य व्यय 16-अयोध्या फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल की स्थापना- 24-वृहद निर्माण कार्य	354.00	354.00	104.71	104.71	249.29
योग	354.00	354.00	104.71	104.71	249.29

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात अनुदान/ विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
4202- शिक्षा , खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 04-कला तथा संस्कृति 800-अन्य व्यय- 32 - जनपद बदायूं में प्रेक्षागृह का निर्माण 24- वृहद निर्माण कार्य	50.00	154.71	104.71	104.71	154.71
योग	50.00	154.71	104.71	104.71	154.71

(1) स्तम्भ में उपलब्ध बचत का कारण नियमानुसार- मिव्ययिता एवं आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मॉग की जा रही है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पर हेतु पुनर्विनियोग को स्वीकृत करने में बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उपलंघन नहीं होता है।

संख्या- **आर-ई- 321/ई-7-/दस-2022**
दिनांक 27 जनवरी**, 2022**
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश , प्रयागराज।

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।
संस्कृति विभाग

(राजेन्द्र राम)
अनु सचिव।
वित्त विभाग

संख्या- 24 /2022 / 2158 (1)/चार-2021-82(वि0)/13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, बदायूं।
4-वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- महाप्रबंधक-जो-7, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, 57 शक्तिनगर कालोनी, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 उ0 प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in